

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड  
(विधि—अनुभाग)  
देहरादून :: दिनांक:: 31 मार्च, 2015

—: विज्ञाप्ति :—  
(नियम 11(12) के अन्तर्गत)

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के नियम 11 के उपनियम (6) में उल्लिखित तालिका के क्रम संख्या 1 व क्रम संख्या 2 में विनिर्दिष्ट उन व्यौहारी अथवा व्यक्तियों, जिनके द्वारा इस आदेश के जारी होने की तिथि तक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की गयी हो, द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 व आगे के वर्षों के लिए वार्षिक विवरणी प्रारूप—4 (संशोधित) में उपबन्धों (जो ऑनलाईन अनिवार्य है) सहित की प्रस्तुति, वैबसाईट पर ऑनलाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ऑनलाईन पद्धति को सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से वर्तमान में विहित वार्षिक विवरणी के प्रारूप—4(संशोधित) में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया गया है तथा संशोधनोपरान्त संशोधित प्रारूप—4, संशोधित अनुलग्नकों सिहत विभागीय वैबसाईट <http://comtaxappl.uk.gov.in> पर log in करने के उपरान्त New offline Annual Return (2013–14) onwards के अन्तर्गत ~~Download~~ हेतु उपलब्ध है।

उक्त के क्रम में यह भी निर्देशित किया जाता है कि वैबसाईट पर जनित 'स्वीकृति पत्र' (Acknowledgement) की Hard copy की हस्ताक्षरित प्रति व स्वीकृति पत्र में घोषित समस्त समर्थक दस्तावेजों सहित वार्षिक विवरणी प्रारूप—4 (संशोधित) अपलोड किए जाने की तिथि से पाँच कार्यालय दिवसों के भीतर संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जायेंगे परन्तु वार्षिक कर निर्धारण के लिए नोटिस जारी होने पर पाँच दिन की सीमा लागू नहीं होगी। वार्षिक विवरणी ऑनलाईन दाखिल किए जाने की प्रक्रिया के संबंध में दिशा—निर्देश मुख्यालय आई०टी० अनुभाग द्वारा पृथक से विज्ञापित किए जायेंगे।

उक्त के अतिरिक्त प्रारूप—IV(A)(संशोधित), IV (B)(संशोधित—1), IV (C) (संशोधित) अग्रिम आदेशों तक पूर्व की भौति Manually दाखिल किए जाते रहेंगे।



(दिलीप जावलकर)  
आयुक्त कर,  
उत्तराखण्ड।


पृ०प०स०व

दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2— अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।
- 3— एडिशनल कमिशनर, वाणिज्य कर गढ़वाल जौन देहरादून/कुमाऊं जौन रुद्रपुर।
- 4— एडिशनल कमिशनर (ऑडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।

- 5— ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यो) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञापि की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर—निर्धारण अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6— ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
- 7— ज्वाइन्ट कमिश्नर(विधि अनुशासन/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, /हरिद्वार/रुद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8— श्री शहाब अली, डिप्टी कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
- 9— निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रुड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।
- 10—Intavatt Info. Pvt. 4 फ्लैट मैनर IIInd Floor 13— आर० सिंधुआ मार्ग मुम्बई—400001 महाराष्ट्र।
- 11— National Law House बी—2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
- 12— National Law and Management House 15/5 राजनगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
- 13— Swastik Publication एस०ई—233, शास्त्री नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
- 14— Law Book Traders 10—नगर निगम कम्पाउण्ड केसरगांज रोड मेरठ उ० प्र०।
- 15— डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्यायो कार्यो) वाणिज्य कर, नैनीताल।
- 16— अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सर्वश्री सत्या इण्डस्ट्रीज, माहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
- 17— प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय सर्वश्री क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड देहरादून।
- 18— दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल सर्वश्री नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड देहरादून।
- 19— प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेडिंग कम्पनी 81—मोती बाजार देहरादून।
- 20— The whole sale dealers Association 14—आढ़त बाजार देहरादून।
- 21— प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम देहरादून।
- 22— कार्यालय अधीक्षक/विधि—अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।
- 23— समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय।



अनुकूल कर,  
उत्तराखण्ड

